दैनिक भास्कर

बिलासपुर भास्कर 10-09-2025

सख्त निर्देश • हाई कोर्ट ने दो साल पहले भास्कर की खबर पर संज्ञान लेते हुए शुरू की थी सुनवाई

डीजे का शोर बंद करने वाला संशोधित कानून जल्द लागू करे सरकार: हाई कोर्ट

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

डीजे और साउंड सिस्टम के शोर से आम लोगों को हो रही परेशानियों को लेकर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच को राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि समिति ने कोलाहल अधिनियम 1985 और शोर प्रदूषण नियम 2000 में संशोधन की अनुशंसा की है। इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। इस पर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह प्रस्तावित संशोधनों को बिना देरी लागू करे, ताकि आम जनता को बढ़ते शोर प्रदूषण से राहत मिल सके। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।

दो साल पहले त्योहारों के दौरान डीजे के शोर से एक बच्चे की मौत हो गई थी। जूना बिलासपुर के किलावार्ड क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोगों को कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के यहां रहने जाना पड़ा था। इस समस्या को लेकर दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की थीं। हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की। इस मुद्दे पर हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा था।

दैनिक भास्कर ने लगातार उठाया मुद्दा, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने की सुनवाई

परेशानी • शहर की बड़ी आबादी डीजे के शोर से परेशान लेकिन ध्यान नहीं दे रहे जिम्मेदार अफसर

डीजे का ऐसा डर...

80 घरों के बुजुर्ग गए रिश्तेदारों के घर क्योंकि घंटों कानफोड़ू शोर का टॉर्चर

बुजुर्ग-बीमारों को हो रही परेशानी चिंताजनक शोर रोकने में नाकाम रहा प्रशासन: हाई कोर्ट

29-30 सितंबर 2023 को प्रकाशित खबरें

त्योहारों में 95 से 110 डेसिबल तक शोर हो रहा, खुलेआम तोड़ रहे नियम

हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि हाल ही में हुए त्योहारों के दौरान डीजे संचालकों ने मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाईं। रायपुर और अन्य जिलों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक डीजे के शोर का स्तर 95 से 110 डेसिबल तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि निर्धारित सीमा 50 डेसिबल है। सीजे सिन्हा की बेंच ने कहा कि यह स्थिति न केवल कानून की अवहेलना है बल्कि नागरिकों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा भी है।

सरकार ने माना - मौजूदा कानून में कमियां

राज्य सरकार ने माना था कि वर्तमान नियमों में कई कमियां हैं। हाई कोर्ट के निर्देश पर राज्य सरकार ने 27 जनवरी 2025 को एक समिति बनाई थी, जिसे जरूरी संशोधन पर सुझाव देने थे। समिति ने 13 अगस्त 2025 को अपनी रिपोर्ट दी और कानून विभाग से परामर्श कर कुछ महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की। इसके बाद पर्यावरण संरक्षण मंडल ने भी प्रस्तावित संशोधनों पर सहमति जताई। अब यह प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है।

आम लोगों का पुलिस विरोध दुखद

सीजे सिन्हा ने टिप्पणी की कि कानून तोड़ने वाले अक्सर भीड़ बनाकर पुलिस का विरोध करते हैं। दुखद यह है कि हादसे होने के बाद लोग सड़क पर शव रखकर मुआवजे की मांग करते हैं, जबकि खुद ही नियम तोड़ते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि यह स्थिति असहनीय है और जनता को भी कानून का पालन करने में सहयोग करना चाहिए। ये आम लोगों के लिए ही है।

शोर नियंत्रण कानून में संशोधन की अनुशंसा, केंद्र के नियम होंगे लागू

बिलासपुर| हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने शोर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों पर गंभीरता से काम शुरू कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल ने शपथ पत्र और दस्तावेज पेश किए थे। बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 में विरोधाभास की स्थिति है। चूंकि 2000 का अधिनियम केंद्र सरकार का है और 1985 का अधिनियम राज्य स्तर का इसलिए दोनों में टकराव की स्थिति में केंद्र के नियम ही प्रभावी होंगे। समिति ने विधि विभाग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है।

दोनों नियम के प्रावधानों में अंतर

- लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति, समय और क्षेत्र की सीमाएं भी अलग हैं।
- 1985 का कोलाहल अधिनियम धार्मिक त्योहारों के दौरान ज्यादा स्वतंत्रता देता है, जबकि 2000 के नियम सिर्फ 15 दिन की अनुमति देते हैं।
- दंड के मामले में 2000 के नियम कहीं ज्यादा कठोर और प्रभावी हैं।
- 1985 के अधिनियम में राज्य सरकार को नियम बनाने का अधिकार है, लेकिन इसमें शोर की कोई सीमा तय नहीं है।

विधि विभाग ने ये सुझाव दिए

- 1985 के कानून में संशोधन कर धारा 14 और 19 में बदलाव किया जाए, ताकि इसे ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
- शोर की सीमा और दंड की व्यवस्था केंद्र के नियमों के अनुरूप सख्त की जाए।